न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज़ गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 687 / 2024

अनवान : –

1. धनपतराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी बिल्युबास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. जसवन्त सिंह पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. मुंशीराम पुत्र अन्नुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. रायसिंह पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी झाड़सर काधलान तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 06/05/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 436/427 की कुल 1.8180 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन प्रतिवादीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है। विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान काश्त एवं सींव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी [illegible] काश्त के अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को क़ई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री हवासिंह पूनिया ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 3 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउंटर क्लेम इस आशय का पेश किया की वाद भूमि का काफी वर्षो पूर्व बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही काबिज है इसलिए मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता व लगान अलग किया जावे। अधिवक्ता वादी ने जबाबुल जवाब पेश किया। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी नें निवेदन किया की बहस सुनी जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त हिसाब से मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की वाद भूमि का पूर्व में बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं पक्षकारान मुताबिक बंटवारा ही काबिज है इसलिए कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा अनुसार ही खाता व लगान अलग किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदी भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। अतः वाद वादी साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हक हिस्सा के मुताबिक निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 भागीरथ पुत्र लीलुराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार– ख0न0 582/73 की 0.020 हैक्ट, ख0न0 73/5 की 0.310 हैक्ट, ख0न0 585/73 की 0.202 हैक्ट कुल 0.532 हैक्ट

2 जसवन्त सिंह पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार– ख0न0 582/73 की 0.012 हैक्ट, ख0न0 73/5 की 0.141 हैक्ट, ख0न0 585/73 की 0.100 हैक्ट कुल 0.253 हैक्ट

3 रायसिंह पुत्र राजीराम जाति मेघवाल [illegible] काधलान जिला चुरू खातेदार– ख0न0 582/73 की 0.007 हैक्ट, [illegible] हैक्ट, ख0न0 585/73 की 0.100 हैक्ट कुल 0.253 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4 धनपतराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल सा0 बिल्युबास रामपुरा तह0 सरदारशहर जिला चुरू खातेदार– ख0न0 73/5 की 0.338 हैक्ट, 585/73 की 0.202 हैक्ट कुल 0.540 हैक्ट

5 मुन्शीराम पुत्र अनुराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार – ख0न0 73/5 की 0.140 हैक्ट, ख0न0 585/73 की 0.100 हैक्ट कुल 0.240 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 687/2024

अनवान : –

1. धनपतराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी बिल्युबास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. जसवन्त सिंह पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. मुंशीराम पुत्र अन्नुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
4. रायसिंह पुत्र राजीराम जाति मेघवाल निवासी झाड़सर काधलान तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 687 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हक हिस्सा के मुताबिक निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 भागीरथ पुत्र लीलुराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार– ख0न0 582/73 की 0.020 हैक्ट, ख0न0 73/5 की 0.310 हैक्ट, ख0न0 585/73 की 0.202 हैक्ट कुल 0.532 हैक्ट

2 जसवन्त सिंह पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार– ख0न0 582/73 की 0.012 हैक्ट, ख0न0 73/5 की 0.141 हैक्ट, ख0न0 585/73 की 0.100 हैक्ट कुल 0.253 हैक्ट

3 रायसिंह पुत्र राजीराम जाति मेघवाल सा0 झाड़सर काधलान जिला चुरू खातेदार– ख0न0 582/73 की 0.007 हैक्ट, ख0न0 73/5 की 0.146 हैक्ट, ख0न0 585/73 की 0.100 हैक्ट कुल 0.253 हैक्ट

4 धनपतराम पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल सा0 बिल्युबास रामपुरा तह0 सरदारशहर जिला चुरू खातेदार– ख0न0 73/5 की 0.338 हैक्ट, 585/73 की 0.202 हैक्ट कुल 0.540 हैक्ट

5 मुन्शीराम पुत्र अनुराम जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार – ख0न0 73/5 की 0.140 हैक्ट, ख0न0 585/73 की 0.100 हैक्ट कुल 0.240 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर